5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES 5 रु. Rs.5 COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES 20 रु. Rs.20 COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED CANCELLED

(19)

समक्ष न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट जबलपुर म.प्र.

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2018

I/निगरानी/जबलपुर/भू.रा/2018/1526

1. यज्ञदत्त तिवारी पिता स्व. श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी
2. रूद्रदत्त तिवारी पिता स्व. श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी
3. योगेश तिवारी पिता स्व. श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी
4. ब्रम्हदत्त तिवारी पिता स्व. श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी

(529)

सभी निवासी–ग्राम खमरिया, तह. शहपुरा, ज़िला–जबलपुर म.प्र. ....**पुनरीक्षणकर्तागण**

श्री ......शर्मा...... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
19 FEB 2018
अधीक्षक
...कमिश्नर जबलपुर संभाग

विरूद्ध

1. लक्ष्मी नारायण तिवारी पिता स्व. पूरनलाल
निवासी–ग्राम खम्हरिया, तह. शहपुरा, जिला–जबलपुर म.प्र.

2. अरूण तिवारी पिता स्व. हेमराज तिवारी
निवासी–235, सतना बिल्डिंग, जबलपुर म.प्र.

3. धनेश्वर तिवारी पिता स्व. मिहीलाल तिवारी
निवासी–621, सूरज डेयरी के पास, संजीवनी नगर, गढ़ा, जिला–जबलपुर म.प्र.

4. कमला प्रसाद पिता स्व. मिहीलाल
निवासी–548, संजीवनी नगर, गढ़ा, जबलपुर म.प्र.

...**अनावेदकगण**

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES 5 रु. भारत पाँच रुपये

प्रस्तावित पक्षकार

1. कमला प्रसाद वल्द स्व. मिहीलाल
निवासी–548, संजीवनी नगर, गढ़ा, जबलपुर म.प्र.
2. अ. श्रीमती तारा बाई बेवा पत्नि स्व. रामकुमार
ब. विवेक पुत्र स्व. रामकुमार
स. ऋतु तिवारी पुत्री स्व. रामकुमार
द. शिल्पी पुत्री स्व. रामकुमार
निवासी–अ से द 1110, प्रज्ञा कालोनी के पास,
संजीवनी नगर, गढ़ा, जबलपुर म.प्र.
3. राम मनोहर पुत्र स्व. मिहीलाल
निवासी–खम्हरिया तह. शहपुरा जिला–जबलपुर म.प्र.
4. कौशल्या देवी पुत्री स्व. मिहीलाल

(3)

निवासी–खम्हरिया तह. शहपुरा जिला–जबलपुर म.प्र.

5. माया देवी पुत्री स्व. मिहीलाल

निवासी–ग्राम खम्हरिया, तह. शहपुरा जिला–जबलपुर म.प्र.

6. ममता बाई पुत्री स्व. मिहीलाल

निवासी–ग्राम खम्हरिया तह. शहपुरा जिला–जबलपुर म.प्र.

7. सुमन तिवारी पत्नि बेवा स्व. राजकुमार तिवारी

अ. रंजना पुत्री राजकुमार

ब. ऋचा पुत्री स्व. राजकुमार

स. अलका तिवारी पत्नि स्व. जयकुमार तिवारी

द. शांतनु पुत्र स्व. जयकुमार तिवारी बलि माँ अलका पत्नि जयकुमार

ई. भव्या पुत्री स्व. जयकुमार बलि माँ अलका तिवारी पत्नि जयकुमार निवासी–7 अ से ई हर्षित नगर, यादव कालोनी जबलपुर म.प्र.

8. योगेन्द्र तिवारी पुत्र स्व. हेमराज तिवारी

निवासी–124, एम.आर.–4 रोड, विजय नगर, जबलपुर म.प्र.

9. शिवकुमार तिवारी पुत्र स्व. हेमराज तिवारी

10. नंदकुमार पुत्र स्व. हेमराज तिवारी

11. अनिल तिवारी पुत्र स्व. हेमराज

12. लक्ष्मी बाई पुत्री हेमराज

13. गायत्री बाई पुत्री हेमराज

14. सावित्री बाई पुत्री हेमराज

15. आशा बाई पुत्री हेमराज

निवासी–9 से 15, 235 सतना बिल्डिंग, सुपर मार्केट, जबलपुर म.प्र.

16. अ. सत्यनारायण पुत्र स्व. पूरनलाल

ब. प्रकाश पुत्र स्व. पूरनलाल

स. सुरेन्द्र पुत्र स्व. पूरनलाल

द. मनोहर पुत्र स्व. पूरनलाल

ई. यशवंती बाई पत्नि राजेन्द्र ज्योतिषी पुत्री स्व. पूरनलाल

फ. मीना बाई पुत्री स्व. पूरनलाल

17. गुड्डन बाई उर्फ चन्द्रकांता पुत्री स्व. पूरनलाल

सभी निवासी–ग्राम खम्हरिया, तह. शहपुरा, जिला–जबलपुर म.प

....**प्रस्तावित पक्षकार**

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

आवेदक माननीय न्यायालय से निम्न निवेदन करते है :–

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण आवेदक अनुविभागीय अधिकारी पाटन के प्र. क्र. 78/अ–6/2016–17 के आदेश दिनॉक 09/01/2018 से व्यथित होकर निम्न तथ्यों एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत है :–

तथ्य :-

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पाटन के समक्ष तहसीलदार शहपुरा द्वारा प्र. क्र. 81/अ–6/2016–17 में पारित आदेश दिनॉक 28/04/2017 से व्यथित होकर राजस्व अपील अंतर्गत धारा 44 (1) के तहत प्रस्तुत की है।

2. यह कि, तहसीलदार शहपुरा के समक्ष अनावेदकगण लक्ष्मी नारायण पिता पूरनलाल, अरूण तिवारी पिता हेमराज एवं धनेश्वर तिवारी पिता मिहीलाल द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति ग्राम खम्हरिया हल्का नं. 43, रा.नि.मं. शहपुरा स्थित ख.नं. 11,12,26,38,39,41,47,53,67,68,70,72,79 रकवा क्रमशः 0.66, 1.98, 2.37, 0.09, 0.15, 5.31, 1.53, 5.32, 0.26, 2.00, 407, 2.68, 0.10 हे. कुल भूमि 27.72 हे. बावद नामांतरण दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया था जिस पर तहसीलदार शहपुरा द्वारा मृत वारिसानों के नाम दर्ज करने बावद् दिनॉक 28/04/2017 को आदेश पारित करने से उक्त ... अपील प्रस्तुत

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/निग0/जबलपुर/भू0रा0/2018/1526 जिला -जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-3-18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन के प्रकरण क्रमांक 78/अ-6/016-17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 9-1-18 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकों द्वारा पक्षकार बनाने का आवेदन निरस्त किया गया है । 2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत पक्षकार बनाने के आवेदन तथा तहसीलदार के आदेश का अवलोकन किया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा आवेदक द्वारा जिन व्यक्तियों को पक्षकार बनाने हेतु आवेदन दिया है, उनका नाम राजस्व अभिलेखों में इदर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में वे आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार हैं । आवेदक द्वारा जो अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश की गई हैं उसकी प्रति के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपील के तथ्यों में उक्त व्यक्तियों का उल्लेख किया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को न्यायहित में आवेदक द्वारा पक्षकार बनाने हेतु प्रस्तुत आवेदक को स्वीकार कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करना चाहिए था किंतु उनके द्वारा ऐसा न कर आवेदन को निरस्त करना न्यायसंगत नहीं है । अत: प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आलोच्य अंतरिम आदेश निरस्त करते हुए आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदन जिसमें वारिसानों को पक्षकार बनाकर अपील के टाइटल में संशोधन करने हेतु निवेदन किया गया है को स्वीकार किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार अपील के टाइटल में संशोधन कराकर सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही विधिवत करें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । प्रशा0 सदस्य	